न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–570/2026

जयचन्द्र राय...आवेदक

नियमित जमानत आवेदन सं0–652/2026

जितेन्द्र राय...आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

महुआ थाना कांड संख्या–64/2003

अंतर्गत धारा–447, 341, 323, 324, 307, 379/34 भा0द0सं0।

21.05.2026 महुआ थाना कांड संख्या–64/2003, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–447, 341, 323, 324, 307, 379/34 में अभिरक्षाधीन नियमित जमानत आवेदक सं0–570/2026 के आवेदक **जयचन्द्र राय उम्र–57 वर्ष पेसर–स्व0 राजेन्द्र राय** साकिन–अलीपुर मुकुन्द, थाना–महुआ, जिला–वैशाली एवं नियमित जमानत आवेदन सं0–652/2026 के आवेदक **जितेन्द्र राय उम्र–71 वर्ष पेसर–स्0 जामुन राय** साकिन–अलीपुर मुकुन्द, थाना–महुआ, जिला–वैशाली, जो दिनांक–24.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदनों पत्र पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री शिवकान्त झा व श्री प्रमोद कुमार सिंह** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबू राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक को पूर्व में विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी और आरोप–पत्र समर्पित होने के पश्चात् आवेदक के तरफ से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, दिनांक–20.03.2003 संध्या करीब 09.30 बजे सूचक अपने दरवाजे पर बैठकर खाना खा रहा था। उसी समय सूचक की पट्टीदारी का चचेरा भाई जितेन्द्र राय एवं उसका दो भाई अनिल राय, राजू राय एवं जयचन्द्र राय आये और बोले कि उसके जीप का टेप कौन खोला है। वह उनलोगों पर शक क्यों करता है? इस पर सूचक ने उससे कहा कि वह तो कभी उसका नाम नहीं लिया है। उसके बाद वे लोग गाली–गलौज करने लगे। विरोध करने पर जितेन्द्र राय ने सूचक को मारने का आदेश अपने भाई को देते हुए सूचक का कॉलर पकड़कर खिंचने लगा। इसी

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0—570/2026

जयचन्द्र राय...आवेदक

नियमित जमानत आवेदन सं0—652/2026

जितेन्द्र राय...आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

लगातार

21.05.2026 क्रम में अनिल राय ने सूचक के सर पर फरसा से मारा जिससे सूचक के सर से खून बहने लगा। उसके बाद राजू राय लाठी से सूचक के हाथ पर मारा जिससे जो उसके दाहिने हाथ पर लगा। जयचन्द्र राय सूचक को फैट—मुक्का से मारा और शर्ट के उपर वाले पॉकेट से तीन हजार रूपया और उसके हाथ से घड़ी ले लिया। हल्ला पर आस—पास के लोग जुट गये तो सभी अभियुक्तगण भाग गये।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण दिनांक—24.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में दुश्मनी के कारण फंसाया गया है। आवेदक जयचन्द्र राय के विरूद्व महुआ थाना कांड सं0—198/2003 अंतर्गत धारा—341, 323, 448, 354/34 भारतीय दण्ड संहिता, महुआ थाना कांड सं0—245/2009 अंतर्गत धारा—147, 341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा—3(i)(r)(s) अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महुआ थाना कांड सं0—159/2016 अंतर्गत धारा—147, 148, 149, 307, 427, 447, 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा—27 आर्म्स एक्ट, परिवाद सं0—1785/2003 अंतर्गत धारा—323, 498(ए) भारतीय दण्ड संहिता एवं महुआ थाना कांड सं0—158/2016 अंतर्गत धारा—147, 148, 307, 447, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा—27 आर्म्स एक्ट एवं आवेदक जितेन्द्र राय के विरूद्व महुआ थाना कांड सं0—158/2016 अंतर्गत धारा—147, 148, 307, 447, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा—27 आर्म्स एक्ट लंबित है जिसमें वह जमानत पर है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण को पूर्व में विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक—24.03.2003 से जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्व धारा—447, 341, 323, 324, 307, 504, 379/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप—पत्र समर्पित की जा चुकी है और पारित आदेश दिनांक—24.05.2003 से आवेदकगण के विरूद्व उक्त धाराओं में संज्ञान लिया जा चुका है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0—53/2004 दाखिल किया गया जिसमें दिनांक—05.09.2004 को आदेश हुआ जिसमें निर्देश दिया गया कि निर्णय प्राप्त के एक

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–570/2026

जयचन्द्र राय..आवेदक

नियमित जमानत आवेदन सं0–652/2026

जितेन्द्र राय..आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

लगातार

21.05.2026 सप्ताह के भीतर आवेदकगण आत्म–समर्पण करे और नया जमानत आवेदन धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत करें और न्यायालय गुण–दोश के आधार पर निस्तारित करें। लेकिन आवेदकगण को उक्त बात की जानकारी नहीं थी कि मामला न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दिया गया है और इसी कारण से आवेदकगण विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण नहीं किया। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उभय पक्षों के बीच सुलह हो गई है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्व कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307 का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदकगण को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के नियमित जमानत आवेदन पत्रों का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख सहित कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण दिनांक–24.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदकगण को पूर्व में विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक–24.03.2003 से जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी और उक्त तिथि पर प्राथमिकी जमानतीय धारा में दर्ज थी। उसके बाद आवेदकगण के विरूद्व अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप–पत्र सं0–70/2003 दिनांक–11.04.2003 अंतर्गत धारा–447, 341, 323, 324, 307, 504, 379/34 भारतीय दण्ड संहिता समर्पित की गई और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी पारित आदेश दिनांक–24.05.2003 से आवेदकगण के विरूद्व उक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया। उसके बाद आवेदकगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–16.08.2003 एवं दिनांक–28.11.2003 को विद्वान अधिवक्ता द्वारा चालित कर पूर्व में प्राप्त जमानत की सुविधा पर रहने की प्रार्थना की गई जिसे उभय पक्षों के सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–11.02.2004 से आवेदकगण द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करते हुए उसके

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0—570/2026

जयचन्द्र राय...आवेदक

नियमित जमानत आवेदन सं0—652/2026

जितेन्द्र राय...आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

लगातार

21.05.2026 बंध—पत्र को निरस्त किया गया जिससे क्षुब्ध होकर आवेदकगण द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर के न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0—53/2004 दाखिल किया गया जिसमें दिनांक—05.09.2004 को आदेश हुआ जिसमें निर्देश दिया गया कि आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर आवेदकगण आत्म—समर्पण करे और नया जमानत आवेदन धारा—307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत करें और विद्वान न्यायालय गुण—दोष के आधार पर निस्तारित करें। जिससे क्षुब्ध होकर इस मामले के सह अभियुक्त अनिल राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष आपराधिक विविध वाद सं0—25386/2007 दाखिल किया गया जिसे पारित आदेश दिनांक—2/11.09.2007 से आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारिज किया गया है। मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्व दिनांक—06.06.2007 को गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश हुआ जिसे दिनांक—29.10.2007 को जारी किया गया। उसके बाद दिनांक—30.06.2010 को आवेदकगण के विरूद्व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—82 निर्गत करने का आदेश हुआ जिसे दिनांक—04.07.2010 को जारी किया गया है। पुनः दिनांक—09.01.2026 को आवेदकगण के विरूद्व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—82 जारी किया गया। उसके बाद दिनांक—24.03.2026 को इस मामले के सह अभियुक्तगण जयचन्द्र राय एवं जितेन्द्र राय (आवेदकगण) को पुलिस द्वारा निर्गत अधिपत्र के आधार पर गिरफ्तार कर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और दोनों अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए मंडल कारा, हाजीपुर के लिए प्रतिप्रेषित किया गया। मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभी तक इस मामले में आरोप का गठन नहीं हुआ है और दिनांक—11.02.2004 संज्ञान आदेश की तिथि से आज तक मामला दौरासुपुर्दगी हेतु लंबित है। जमानत आवेदन की कंडिका 06 एवं 08 में आवेदकगण द्वारा इस बात का कथन किया गया है कि आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0—53/2004 के निस्तारण की जानकारी उसे नहीं हुई थी, जिस कारण वह विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म—समर्पण नहीं किया परन्तु मूल अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक व अन्य अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0—53/2004 में दिनांक—05.09.2004 को आदेश पारित हुआ था तो यह

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–570/2026

जयचन्द्र राय..आवेदक

नियमित जमानत आवेदन सं0–652/2026

जितेन्द्र राय..आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

लगातार

21.05.2026 तर्क दिया जाना कि उन्हें जानकारी नहीं थी मिथ्या है, इसके अतिरिक्त इस आदेश से क्षुब्ध होकर इस मामले के सह अभियुक्त अनिल राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष आपराधिक विविध वाद सं0–25386/2007 दाखिल किया गया था जो अदम पैरवी में खारिज हुआ था। सम्पूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि आवेदकगण को आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–53/2004 में पारित आदेश दिनांक–05.09.2004 के अनुपालन में आत्म–समर्पण करना था परन्तु आवेदकगण जान–बुझकर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण नहीं किया। उक्त मामला वर्ष 2003 का है और इस मामले में आवेदकगण के स्वयं के आचरण के कारण आज तक मामला सुपुर्दगी हेतु लंबित है।

अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों तथा आवेदकगण के आचरण को ध्यान में रखते हुये आवेदकगण को आरोप गठन के पश्चात् नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदकगण को आरोप गठन के पश्चात् मो0 10,000/– की समान राशि के दो प्रतिभूगण द्वारा जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

तथापि विद्वान न्यायालय आरोप गठन के पश्चात् बन्ध–पत्र स्वीकार करेगा।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।